www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 28.03.2017

सीबीआई ने व्यापम मामलों में तीन व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया

सीबीआई ने वन रक्षक परीक्षा, 2013 से सम्बन्धित मामले में समाधानकर्ता (सॉल्वर), मध्यस्थ एवं उम्मीदवार के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 तथा मध्य प्रदेश मान्य परीक्षा अधिनियम,1937 की धारा ¾ के तहत विशेष दण्डाधिकारी की अदालत, सीबीआई, व्यापम घोटाला मामले, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में पूरक आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.07.2015 के आदेश पर तीन आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध दिनांक 22.12.2015 को मामला दर्ज किया एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420 एवं एम.पी.आर.ई. अधिनियम की धारा ¾ के तहत कम्पू पुलिस स्टेशन ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में पूर्व में दर्ज प्राथमिक रिर्पोट संख्या 78/2013 की जॉंच को अपने हाथों में लिया। ऐसा आरोप था कि आरोपी व्यक्तियों ने व्यापम द्वारा आयोजित वन रक्षक परीक्षा, 2013 में धोखाधड़ी, जालसाजी एवं परनाम धारण करने हेतु आपस में आपराधिक षड़यंत्र किया। स्थानीय पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई जॉंच से पता चला कि उक्त परीक्षा में उम्मीदवार ने अपने स्थान पर परीक्षा में शामिल होने के लिए समाधानकर्ता (सॉल्वर) की व्यवस्था हेतु तथाकथित मध्यस्थ की सहायता ली। मध्यस्थ व्यक्ति ने वन रक्षक परीक्षा 2013 की लिखित परीक्षा हेतु एक समाधानकर्ता (सॉल्वर) की व्यवस्था की। ओ.एम.आर. शीट एवं रासा पर उपलब्ध नमूना लिखावट व हस्ताक्षर पर सी.एफ.एस.एल. की विशेषज्ञ राय ने सिद्ध किया कि वास्तविक उम्मीदवार स्वयं परीक्षा में शामिल नही हुआ तथा उक्त परीक्षा में उसके स्थान पर कथित रूप से समाधानकर्ता (सॉल्वर) शामिल हुआ। आरोप पत्र दायर होने के समय सभी तीन आरोपी व्यक्ति उपास्थित थे। अदालत ने पूर्व में दी गई उनकी जमानत को रद्द किया और उक्त तीन आरोपी व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में लिया। उन्हे केन्द्रीय जेल, ग्वालियर भेजा गया।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्धारा की गयी जॉंच व इसके द्धारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधरित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।

****